

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
[केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 22 जून, 2016

आय-कर

का.आ. 2179(अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के साथ पठित धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2016 है ।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962, के नियम 10प में,-

(i) उप-नियम (1) के खंड (घ) में "30 अगस्त, 2010" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2017" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उप नियम (2) में "1 अप्रैल, 2015" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2017" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

[अधिसूचना सं. 49/2016 /एफ.सं.370142/10/2016-टीपीएल

(नीरज कुमार)

अवर सचिव, (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. का.आ. 2151(अ) तारीख 20/06/2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।